उत्तर प्रदेश शासन

वन अनुभाग-2

संख्या- 12/1879/14-2-2014-4 (4) /2014

लखनऊ, दिनांक 26 सितम्बर, 2014

अधिसूचना

भारतीय वन अधिनियम, 1927 (अधिनियम संख्या -16, सन् 1927) की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करते हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को आरक्षित वन के रूप में गठित करने का विनिश्चय किया गया है।

2- उक्त धारा की उपधारा (1) के खण्ड (ग) के अधीन राज्यपाल अग्रतर वन बन्दोबस्त अधिकारी, बांदा को उक्त वन भूमि के संबंध में वन बन्दोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

अनुसूची

क्र0सं0	**जिला**	**तहसील**	**परगना**	**ग्राम**	**खसरा संख्या**	**क्षेत्रफल (हे0)**	**सीमा वर्णन**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
1	चित्रकूट	मऊ	मऊ	मुरका	277 क 278 क 279 क 280	0.149 0.044 0.082 3.325	उत्तर-वन भूमि खसरा सं055,42,235 पूरब- खसरा सं0 237 दक्षिण-खसरा सं0 277 भाग। पश्चिम-खसरा सं0 278 भाग,279 भाग 281,282
				योग	04 किता	3.600	

आज्ञा से,

(वी0एन0गर्ग)

प्रमुख सचिव

shasanadesh.up.nic.in/go/anra